निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :– 231/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गिर्राज पुत्र रामानन्द जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम मनोरियावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, श्रीमती एकता काबरा, आर.ए.एस.
2. रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड,
   पंजीकृत कार्यालय 709, ओके प्लस टॉवर, सेक्टर 7, मानसरोवर, जयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता श्री किशन सैनी।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 204/2022, 205/2022, 207/2022 तथा 208/2022 ब–उनवानी रियासत इन्फ्रा डवलपर्स बनाम गिर्राज व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:–

1. श्री राजेश कुमार कुड़ी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शिव सिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक 13.07.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर के समक्ष वाद संख्या 204/2022, 205/2022, 207/2022 तथा 208/2022 ब–उनवानी रियासत इन्फ्रा डवलपर्स बनाम गिर्राज व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शिवसिंह चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा व उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किए जाने बाबत् सहमति पत्र पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 रियासत इन्फ्रा डवलपर्स जरिये हस्ताक्षरकर्त्ता किशन सैनी, जो एक राजनैतिक व प्रभावशाली व प्रोपर्टी कारोबारी एवं ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है, जो अपने प्रभाव से अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर प्रार्थीगण को उनके कब्जेकाश्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उद्देश्य से अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रार्थीगण ने पूर्व में हुए मनबंट के आधार पर अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है, लेकिन बराये बदनीयती अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने के उद्देश्य से उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर अपने मनमाफिक विभाजन करवाने पर आमादा फिसाद है। प्रार्थीगण को वाद से संबंधित नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 08.09.2022 को जरिये वकील उपस्थित हुए। उसी दिन न्यायालय के रीडर द्वारा कहा गया कि आप जल्द से जल्द अपना जवाब दावा पेश करो, उक्त वाद में कुर्रेजात के आदेश करने है और आगामी पेशी दिनांक 16.09.2022 नियत की गई। दिनांक 16.09.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता ने रीडर से निवेदन किया कि जवाब हेतु समय चाहा, परंतु दिनांक 23.09.2022 नियत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी दिए जाने से प्रार्थी सरकारी अवकाश होने से दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सका। दिनांक 06.10.2022 को जब प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, तो अप्रार्थी संख्या 2 न्यायालय चेम्बर में बैठा है और बाते कर रहा है। न्यायालय परिसर में अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी से कहा कि मेरी बातचीत हो चुकी है, आप आगामी तारीख तक जवाब पेश कर देना, नहीं तो उक्त वाद में मेरे मनमाफिक आदेश पारित करवा लूंगा। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी कोई रूचि लेकर कार्यवाही नही कर रहे है और छोटी–छोटी तारीख पेशियां दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 प्रोपर्टी कारोबारी व प्रभावशील व राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। आर्थिक आधार पर भी सुदृढ़ है, जिसके द्वारा गांव के मौजिस लोगो से भी कहा जा रहा है कि जल्द ही विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मेरे मुताबिक करवाकर भूमि के विशिष्ट भाग पर कॉलोनी विकसित करूंगा। पीठासीन अधिकारी उक्त व्यक्तियों के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किए जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की आशा नही है, इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होते हुए प्रार्थी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है, अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी सांगानेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा वर्णित कथन गलत एवं निराधार है। समस्त तारीख पेशियां वादी–प्रतिवादी की सहमति के आधार पर ही दी गई है। प्रार्थी द्वारा लगाए गए समस्त आरोप मिथ्या एवं निराधार है। प्रकरण को किसी अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है, तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अप्रार्थी अधिवक्ता ने जरिये जवाब और वरवक्त बहस उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

9. उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 204/2022, 205/2022, 207/2022 तथा 208/2022 ब–उनवानी रियासत इन्फ्रा डवलपर्स बनाम गिर्राज व अन्य को उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31.07.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

10. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं उपखण्ड अधिकारी सांगानेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **13.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner